

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वन मंडल दक्षिण बालाघाट के परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक PF-807 & PF-809 के रकबा 28.02 हे. वनभूमि में आपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज ओर खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट का आन लाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6-MPC REC10/2014-BHO/Part-III/141 दिनांक 04/05/2022

-----0-----

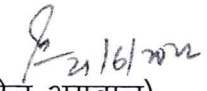
विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र./6-REC10/2014-BHO/Part-III/141 दिनांक 04/05/2022 से भारत सरकार कार्यालय में दिनांक 29/04/2022 का आयोजित क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी वन मंडल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट के पत्र क्र./4813 दिनांक 15/6/2022 से एवं मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट के पत्र दिनांक 17/6/2022 से प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	CA Scheme for 10.00 ha degraded forest land shall submitted.	बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के बीट हथौड़ा के कक्ष क्र. 805 रकबा 10.00 हेक्टेयर बिगड़े वनभूमि की रोपण योजना की प्रति तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है।
2	A Water Conservation plan for surrounding water Reservoir	डॉ. संतोष सक्सेना, सचिव, भूवैज्ञानिक संघ एवं अनुसंधान केन्द्र बालाघाट द्वारा आसपास के जलाशय के संरक्षण की तैयार की गई योजना की प्रति संलग्न है।
3	A certificate regarding non-availability of same mineral and quantity in surrounding/non-forest area.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा खनिज अधिकारी, बालाघाट का पत्र क्र./772/ख.लि.-02/2022 दिनांक 02/06/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमें खनिज अधिकारी, बालाघाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वीकृत क्षेत्र में सीमा पिल्लर स्थापित पाये गये हैं। स्वीकृत क्षेत्र की उपरी सतह पर खनिज मैंगनीज ओर दर्शित है। वन कक्ष क्रमांक 807, 809 से लगे हुये राजस्व भूमि के उपरी सतह पर मैंगनीज ओर दर्शित नहीं होना पाया गया किन्तु स्वीकृत खनिज क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 807, 809 में अन्डरग्राउण्ड/ओपन कॉस्ट खनन कार्य किये जाने पर खनिज मैंगनीज ओर उपलब्धता की संभावना प्रतीत होती है। पत्र की प्रति संलग्न है।

4	Status of mining (legal as well as illegal) in adjacent forest and non-forest areas.	वन मंडल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट द्वारा पत्र दिनांक 15.06.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित मेंगनीज ओर खनिज रथल वन कक्ष क्रमांक PF-807 एवं PF-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर के समीप निम्न खदानें स्थित है :-					
		क्र.	माईन्स का नाम	प्रस्तावित रथल से दूरी	अवस्थिति	अक्षांश-देशांतर	स्थिति (वैध / अवैध)
		1	मेसर्स डी.पी. राय, मेंगनीज खदान मिरगपुर	3756 मीटर	पूर्व दिशा में	N21°37'56.58" E79°49'55.45"	वैध
		2	मेसर्स राजेन्द्र देशमुख, मेंगनीज खदान मिरगपुर	3879 मीटर		N21°37'54.47" E79°50'18.93"	वैध
		3	मेसर्स डी.पी. राय, मेंगनीज खदान पांडरवानी	3493 मीटर		N21°37'33.96" E79°50'36.52"	वैध
5	An undertaking for no Staff Quarters or construcion activities shall be carried out in forest area by the User Agency.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेख है कि प्रकरण स्वीकृत होने पर किसी भी प्रकार का स्टाफ क्वार्टर का निर्माण नहीं करेंगे। शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।					

अतः वन मंडल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट का पत्र क्रमांक 4813 दिनांक 15/06/2022 एवं मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट से प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर प्रकरण सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

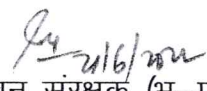

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/2212
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/6/22

- 1 मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्य प्रदेश।
 - 2 वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल दक्षिण बालाघाट, म.प्र.।
 - 3 मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट मध्य प्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

0/c